राजस्थान आवासन मण्डल

श्री भजन लाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्री

श्री झाबर सिंह खर्रा
माननीय मंत्री,
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

आवासीय फ्लेट्स पानेरियो की मादडी योजना, फेज-प्रथम, उदयपुर

आर्थिक दृष्टि से कमजोर आयवर्ग (G+3) - 80 **फ्लेट्स एवं**
अल्प आयवर्ग (G+3) - 62 **फ्लेट्स कुल** 142 **फ्लेट्स**

हमारा प्रयास, सबको आवास

आवेदन अवधिः

RERA REG. NO.: RAJ/P/2025/4065

Scan QR Code for This Scheme Location

ध्यान देने योग्य आवश्यक बिन्दु

यह सुनिश्चित कर लेवें कि :–

आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले वांछित प्रपत्रों की सूची निम्नानुसार है :–

i- आय का प्रमाण पत्र।

ii- पंजीकरण की पूर्ण राशि आय वर्ग अनुसार ऑनलाईन आवेदन करते समय फार्म के साथ जमा करानी होगी।

iii- आवेदन पत्र पर आवेदनकर्ता की फोटो अंकित होना अनिवार्य है।

iv- सम्बंधित वांछित प्रमाण पत्र।

v- आवेदक को आवेदन पत्र के साथ स्वयं के एंव निवास के पते का प्रमाण पत्र यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसेन्स, राशन कार्ड, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, बैंक पासबुक अथवा अन्य कोई मान्य फोटोयुक्त दस्तावेजों में से (वांछित दस्तावेजों की) एक–एक स्व–हस्ताक्षरित /सत्यापित छांया प्रति।

vi- कोई अन्य सूचना जो प्रपत्र में मांगी गई है।

मूल्य रू. 300 + 54 = 354/–

राजस्थान आवासन मण्डल

"विशिष्ठ पंजीकरण योजना वर्ष 2025"

पानेरियो की मादडी योजना फेज प्रथम, उदयपुर

रेरा पंजीकरण संख्या **RAJ/P/2025/4065** में

आर्थिक दृष्टि से मजोर आय वर्ग (G+3) एवं अल्प आय वर्ग (G+3)

के फ्लेट्स हेतु

आवेदन पत्र की बिक्री/प्राप्ति व वरीयता निर्धारण का

कार्यक्रम

1. ऑन लाइन आवेदन–पत्र उपलब्ध :
2. ऑन लाइन आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि :
3. योग्य आवेदकों की वरीयता निर्धारण हेतु अस्थाई सूची प्रकाशन की तिथि एवं स्थान
4. अस्थाई सूची पर आक्षेप प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि
5. वरीयता निर्धारण हेतु योग्य आवेदकों की स्थाई सूची के प्रकाशन की तिथि एवं स्थान
6. वरीयता निर्धारण हेतु लॉटरी आयोजन की तिथि एवं स्थान

अन्तिम तिथि के पश्चात मण्डल की वेबसाईट www.urban.rajasthan.gov.in/rhb पर सार्वजनिक सूचना जारी की जावेगी।

सम्पर्क सूत्र

आवासीय अभियन्ता राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड – उदयपुर मोबाईल नं. 94141–03221, 99502–35207	उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त–उदयपुर पारस तिराहा, सेक्टर–11, हिरण मगरी, उदयपुर मो.नं. 99839–93893, 96609–34008

विशेष:

1. आवेदन पत्र मण्डल की वेबसाईट www.urban.rajasthan.gov.in/rhb पर ऑनलाईन भरे जायेगे। इस हेतु आवेदन पत्र की कीमत रूपयें 354/– पंजीकृत राशि में सम्मिलित कर सीधे ही अपने बैंक के नेट बैंकिंग/क्रेडिट/डेबिट कार्ड के मार्फत **Union Bank of India बैंक, सविना खेडा ब्रांच, मोती टॉवर, 194 अरावली गैस एजेन्सी के पास, सेक्टर–11, उदयपुर** के खाता संख्या **760102010006369,** आई.एफ.एस.सी. कोड **UBIN0576018** में जमा करवाया जा सकता है।
2. राजस्थान आवासन मण्डल की आवासीय योजनाओं में आवेदन करने हेतु पंजीकरण राशि का भुगतान केवल **RHBMS** पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएगे। इसके लिए ऑनलाइन भुगतान इंटरनेट बैंकिग के माध्यम से किया जा सकता है और ऑफलाइन भुगतान (चैक/डीडी) पोर्टल द्वारा जारी किए गए बैंक चालान के माध्यम से किया जा सकता है। राजस्थान आवासन मण्डल के खाते में किसी भी अन्य माध्यम (**RTGS/NEFT**/चेक/डीडी) से सीधे किए गए भुगतान मान्य नही होंगे और इस प्रकार किए गए सभी आवेदनों को रद्द माना जाएगा।

राजस्थान आवासन मण्डल

"विशिष्ठ पंजीकरण योजना वर्ष 2025"

पानेरियो की मादडी योजना फेज–प्रथम, उदयपुर

आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (G+3) एवं अल्प आय वर्ग (G+3) के फ्लेट्स हेतु

राजस्थान आवासन मण्डल का गठन राज्य सरकार द्वारा आवासन मण्डल **<u>अधिनियम – 4 वर्ष 1970</u>** के अंतर्गत राज्य में आमजन को सुलभ आवास/फ्लेट् उपलब्ध कराने हेतु किया गया था। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मण्डल वैज्ञानिक ढंग से आवासीय कॉलोनियों का निर्माण कर स्वच्छ, स्वस्थ एवं उत्कृष्ट पर्यावरण में सभी आय वर्गों के लिए आवास/फ्लेट् उपलब्ध कराने के लिये कार्यरत है।

मण्डल का विशेष रुप से ध्यान आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं अल्प आय वर्ग के लिए मकान/फ्लेट् उपलब्ध कराने पर केन्द्रित रहा है। यद्यपि यह कार्य काफी कठिन एवं चुनौतीपूर्ण है, फिर भी मण्डल द्वारा सदैव यह प्रयास रहा है कि वह ऐसे आवास/फ्लेट् बनाये जो हवादार हों, आरामदायक हों व जिनमें पानी, बिजली जैसी समस्त मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हों। मण्डल का यह भी प्रयास रहा है कि आवास/फ्लेट्स की कीमत तर्क संगत हो व संबंधित आय वर्ग के आवेदक की भुगतान क्षमता में हो।

" विशिष्ठ पंजीकरण योजना वर्ष 2025"

पानेरियो की मादडी योजना फेज–प्रथम, उदयपुर

आवास/फ्लेट् समस्या के निराकरण हेतु राजस्थान आवासन मण्डल समय समय पर विभिन्न आवासीय योजनाओं की सफलता के बाद उदयपुर शहर में **पानेरियो की मादडी योजना फेज–प्रथम, उदयपुर** (विशिष्ठ पंजीकरण योजना वर्ष 2025) प्रारम्भ करने जा रहा है, जिसमें आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (G+3) के 80 फ्लेट् एव अल्प आय वर्ग (G+3) के–62 फ्लेट् कुल–142 फ्लेट् निर्मित किये जाने प्रस्तावित है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

तालिका–1

फ्लेट्स का आय वर्ग, संख्या एवं अनुमानित लागत :–

क्र. सं.	आय वर्ग	अनुमानित संख्या	अनुमानित सुपर निर्मित क्षेत्रफल वर्गफीट में	अनुमानित लागत (रू. लाख में)			
				भूतल	प्रथम तल	द्वितीय तल	तृतीय तल
1.	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (G+3) के फ्लेट्स	80	348.50	12.96	12.23	12.05	11.68
2.	अल्प आय वर्ग (G+3) के फ्लेट्स	62	507.30	17.20	15.90	15.60	15.00

नोट :–

(i) फ्लेट्स की अनुमानित संख्या में आवश्यक्तानुसार परिवर्तन किया जा सकता है।

(ii) उक्त तालिका में फ्लेट्स की केवल अनुमानित लागत ही बताई जा रही है, जिसमें कमी अथवा बढोतरी हो सकती है। भवन निर्माण सामग्री मुख्यतः सीमेन्ट, स्टील एंव अन्य सामग्री की बाजार दरो मे काफी उतार–चढाव आ रहा है। इस कारण से फ्लेट की वास्तविक लागत का अनुमान लगाया जाना कठिन है। अतः मण्डल द्वारा फ्लेट्स की अन्तिम रूप से निर्धारित लागत ही मान्य होगी व इस हेतु आवंटी का कोई आक्षेप मान्य नहीं होगा।

आवासीय योजना की विशेषताऐं :–

यह आवासीय योजना झामर कोटड़ा रोड से गुजर रही रेल्वे लाईन के दक्षिण दिशा की ओर पानेरियों की मादड़ी उदयपुर में स्थित है इस योजना की प्रमुख स्थलों से लगभग दूरी निम्नानुसार है :–

1. अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 25 कि.मी.
2. उदयपुर सिटी रेल्वे स्टेशन 2.5 कि.मी
3. उदयपुर बस स्टेण्ड 3.0 कि.मी.

पंजीकरण की पात्रता एवं शर्तें :–

फ्लेट्स का आवंटन राजस्थान आवासन मण्डल के सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के अन्तर्गत तथा इस संबंध में समय समय पर जारी नियमों, उपनियमों एवं उपबंधों/परिपत्रों के अधीन निम्नानुसार किया जावेगा:–

1. राजस्थान आवासन मण्डल में कोई भी वयस्क भारतीय नागरिक पंजीकरण करवा सकता है। आवेदन पत्र भरने की तिथि वयस्क भारतीय व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये। यदि किसी आवेदक को राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा किसी भी शहर में किसी भी पद्वति यथा सामान्य/विशिष्ठ पंजीकरण, स्ववित्त पोषित योजना, खुली बिक्री अथवा नीलामी द्वारा पूर्व में आवास/फ्लेट् आवंटन हो चुका है अथवा अन्य से क्रय किया हुआ है वह भी इस योजना में फ्लेट् आवंटन हेतु पंजीकरण करवाने के पात्र होंगे।
2. इस योजना में राजस्थान आवासन मण्डल सम्पत्ति निस्तारण विनियम 1970 के प्रावधान के अनुसार पति अथवा पत्नी एवं अविवाहित वयस्क बच्चों पुत्र व पुत्री भी स्वतंत्र रूप से अथवा संयुक्त रूप से आवास आवंटन हेतु पात्रता रखेगा।

3.(अ) आवेदक के पास आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत जारी स्थायी खाता संख्या PAN होना चाहिए एवं आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर उसका उल्लेख किया जाना चाहिए। (जहां लागू हो)

(ब) आवेदक के पास भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र ''आधार कार्ड' (यू.आई.डी.) के नम्बर है तो आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर उल्लेखित किये जाने चाहिए।(यदिप्राप्त कर लिये हो)

4. प्रस्तावित योजना में किसी संस्था/कम्पनी के नाम से भरा गया आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

5. यदि कोई उदयपुर शहर की अन्य योजना में पूर्व पंजीकृत आवेदक है **(वर्ष 2013 के पानेरियो की मादडी योजना, उदयपुर में खोली गई योजना के EWS & LIG पंजीकृत आवेदको को छोडकर)** जिसे मण्डल द्वारा आवेदन की तिथि तक फ्लेट्/आवास का आवंटन नहीं किया है, और वह इस योजना में आवेदन करता है तो उसकी पूर्व निर्धारित वरीयता के आधार पर फ्लेट् आवंटन में प्राथमिकता दी जायेगी। इस बाबत् आवेदक अपने पूर्व पंजीकरण एवं वरीयता क्रमांक का उल्लेख आवेदन पत्र में करेगा तथा शपथ–पत्र भी प्रस्तुत करेगा कि उसका पूर्व पंजीकरण निरस्त नहीं किया गया है तथा न ही आवासन मण्डल द्वारा उसे कोई फ्लेट् आवंटित किया गया है।

6. मण्डल द्वारा फ्लेट्स के आवंटन में आरक्षित कोटे का प्रावधान निम्नांकित श्रेणियों/वर्गों के लिए उनके समक्ष अंकित प्रतिशत के अनुसार होगा।

तालिका 2

क्र.सं.	वर्ग	आवेदक की श्रेणी	प्रश्नगत अधिसूचना की पालना में समायोजित			कुल योग प्रतिशत
			सामान्य (प्रतिशत)	(जी–9) दिव्यांग 5 प्रतिशत	निराश्रित एवं भूमिहीन (जी–11) एकल महिला 10 प्रतिशत	
1	जी–1 (i)	राज्य सरकार/बोर्ड/निगम / प्राईवेट सेक्टर में कार्यरत कर्मचारी सरकारी कर्मचारी की विधवायें (कर्मचारी की मृत्यु से) 10 वर्ष तक केन्द्र सरकार के कर्मचारी	8.50	0.50	1.00	10.00
	(ii)	वर्तमान/भूतपूर्व सैनिक/ सीमा सुरक्षाबल/केन्द्रिय औधोगिक सुरक्षाबल/केन्द्रिय रिजर्व पुलिस बल के रक्षाकर्मी सैनिक विधवायें /वीरांगनायें (स्थल सेना को प्राथमिकता)	8.50	0.50	1.00	10.00
2	जी–2 (i)	सामान्य श्रेणी	33.58	1.97	3.95	39.50
	(ii)	प्रोफेशनल श्रेणी (केवल एडवोकेट, चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट एवं प्राईवेट डॉक्टर)	4.25	0.25	0.50	5.00
3	जी–3	राजस्थान आवासन मण्डल कार्मिक (बोर्ड कर्मचारी)	0.85	0.05	0.10	1.00
4	जी–4	अनुसूचित जाति	13.60	0.80	1.60	16.00
5	जी–5	अनुसूचित जन जाति	10.20	0.60	1.20	12.00
6	जी–6	वर्तमान भूतपूर्व विधायक/सांसद	0.85	0.05	0.10	1.00
7	जी–7	स्वतंत्रता सैनानी	0.42	0.03	0.05	0.50
8	जी–8	अधिस्वीकृत पत्रकार	1.70	0.10	0.20	2.00
9	जी–10	वीरता प्राप्त सैनिक एवं एशियाड /ओलम्पिक पद प्राप्त खिलाडी	0.85	0.05	0.10	1.00
10	जी– 12	परलैंगिक व्यक्ति (ट्रांसजेण्डर)	1.70	0.10	0.20	2.00
		योग	**85.00**	**5.00**	**10.00**	**100.00**

नोट. (अ) आरक्षित वर्गो के पर्याप्त आवेदक न होने पर शेष रहे फ्लेटो को जी–2 वर्ग मे स्थानांतरित किया जा सकेंगा।

(ब) श्रेणीवार आरक्षित कोटा निर्धारण हेतु आवश्यक प्रमाण–पत्र/शपथ–पत्र अनिवार्य है अन्यथा आवेदक का पंजीकरण अवैतनिक श्रेणी प्रथम में मान लिया जायेगा।

(स) यदि उपरोक्त तालिका की क्रम संख्या 1 से 10 में दर्शित वर्ग के आवेदकों के पर्याप्त आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होते है तो अन्य श्रेणी आवेदकों के फ्लेट् गैर वेतन भोगी वर्ग (जी2–I) के लिए अन्तरित कर दिये जायेंगे।

(द) आरक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिए यदि एक भी फ्लेट् उस आरक्षित श्रेणी में आवंटन हेतु उपलब्ध न होने पर ऐसे आवेदकों के आवेदन पत्र को सामान्य श्रेणी अवैतनिक वर्ग के आवेदकों की (जी2–I) में सम्मिलित किया जावेगा।

(य) प्राईवेट सेक्टर में उन्हीं कार्मिकों को शामिल किया जायेगा, जिनकी भविष्य निधि की कटौती उनके संस्थान द्वारा की जाती है तथा संस्थान द्वारा स्थाई वैतनिक होने का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है एवं कार्मिक द्वारा आयकर विवरिणी का ब्यौरा संस्थान/कर विभाग को प्रस्तुत किया जाता है।

(र) निराश्रीत एवं भूमिवहीन एकल महिला की सकल वार्षिक आय रू. 80000/– प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी। उक्त वर्ग के आवेदक को सम्बन्धित तहसीलदार से निराश्रित एवं भूमिवहिन महिला होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उक्त वर्ग की महिला को निर्धारित आय वर्ग के अनुसार केवल EWS श्रेणी के फ्लेट्स में आरक्षण देय होगा।

7. ''आरक्षित श्रेणियों अर्थात अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/शारीरिक रुप से दिव्यांग/ युद्ध में शहीद हुए सैनिक की विधवाओं/भूतपूर्व सैनिक/विधायक/ सांसद/अधिस्वीकृत पत्रकार/स्वतंत्रता सैनानी/शौर्य पुरस्कार प्राप्त सैनिक/ऐशियाड/ओलम्पिक पदक प्राप्त खिलाडी आदि के द्वारा आवेदन पत्र में दी गई सूचना अनुसार अपेक्षित प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति के साथ शपथ–पत्र नवीनतम फोटो के साथ प्रस्तुत करना होगा।''

8. यदि वर्तमान एवं कालान्तर में आवेदक के द्वारा दिये गये दस्तावेज/सूचनाएं गलत, झूठी अथवा असत्य पाई जाती है तो उस आवेदक का पंजीकरण/आवंटन तथा उसके क्रम में की गई समस्त कार्यवाही, बिना कोई कारण बताओं नोटिस जारी किये निरस्त कर दी जावेगी तथा मण्डल के प्रचलित नियमों अनुसार कटौती करते हुए शेष राशि लौटा दी जायेगी। आवेदन पत्र में आवंटी द्वारा दर्शाई गई श्रेणी ही मान्य होगी। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व समस्त विशिष्ठियों की जांच कर सन्तुष्टि के पश्चात ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। गलत प्रविष्ठी पाये जाने पर आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा।

9. इस योजना में तालिका 1 में दर्शाये हुए फ्लेटों हेतु आवेदक की वार्षिक आय एंव पंजीकरण राशि का विवरण निम्नलिखित तालिका–3 के अनुसार है :–

तालिका –3

क्र. सं.	आय वर्ग	वार्षिक आय (रुपये में)	पंजीकरण राशि	आवेदन शुल्क (रुपये में)	प्रोसेसिंग फीस (रुपये में)	कुल जमा योग्य राशि (रुपये में)
1	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	300000.00 लाख तक	7000.00 एंव जीएसटी 1% कुल राशि 7070.00	300.00 एंव 18% जीएसटी कुल राशि 354/-	500.00 एंव 18% जीएसटी कुल राशि 590.00	8014.00

2	अल्प आय वर्ग	300001.00 से 600000.00 तक	15000.00 एंव जीएसटी 1% कुल राशि 15150.00	300.00 एंव 18% जीएसटी कुल राशि 354/-	700.00 एंव 18% जीएसटी कुल राशि 826.00	16330.00

10. फ्लेट्स का आवंटन नगद भुगतान/किराया क्रय पद्धति के आधार पर किया जायेगा। निर्मित फ्लेट्स में 45 प्रतिशत फ्लेट्स नगद भुगतान तथा 55 प्रतिशत फ्लेट्स किराया क्रय पद्धति पर आवंटित किये जाएंगे। किराया क्रय पद्वति के तहत नियमानुसार किश्तो को मय जीएसटी करवाना होगा।
11. नगद भुगतान पद्धति से फ्लेट् आवंटित होने पर उसे किराया क्रय पद्धति में परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
12. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक उपरोक्तानुसार निर्धारित पंजीकरण राशि की आधी राशि जमा करा सकते हैं।
13. थल सेना/जल सेना/वायू सेना एंव एंव इनके भूतपूर्व सैनिकों एंव विरांगनाओं के लिए मण्डल की आवासीय योजनाओं में पंजीकरण राशि का 1/10 भाग जमा करा सकते है शेष राशि आवंटन पत्र के माध्यम से ले ली जावेगी।
14. राजस्थान आवासन मण्डल की आवासीय योजनाओं में विभिन्न आय वर्ग के आवेदकों के पंजीकरण हेतु राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा किये जाने वाले प्रशासनिक व्यय के दृष्टिगत नवीन पंजीकरण की प्रोसेसिंग फीस आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के आवेदक हेतु राशि रूपये 500/– + 18 प्रतिशत एवं अल्प आय वर्ग के आवेदक हेतु राशि रूपये 700/– + 18 प्रतिशत देय होगी एवं उपरोक्त देय प्रोसेसिंग फीस का किसी भी आवेदक को पुनर्भुगतान/समायोजन नहीं किया जायेगा।
15. यदि आवेदक शपथ पत्र/आवेदन पत्र में कोई गलत सूचना देता है या कोई तथ्य छिपाता है तो उसका पंजीकरण तुरन्त रद्द कर दिया जावेगा यदि फ्लेट्स का आवंटन हो गया हो तो भी मण्डल ऐसे आवंटन को रद्द करने तथा फ्लेट्स का कब्जा वापस लेने के लिए सक्षम होगा आवेदक की जमा राशियों में से नियमानुसार कटौती करते हुए शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी।
16. उक्त योजना में कुल प्राप्त आवेदन पत्रों में से वर्गानुसार विकल्पानुसार उपलब्ध फ्लेटों की संख्या के बराबर सफल आवेदकों की लॉटरी द्वारा वरीयता निर्धारित कर दी जावेगी। लॉटरी के पश्चात शेष रहे असफल आवेदकों को उनकी जमा पंजीकरण राशि (बिना ब्याज) आवेदन पत्र में अंकित बैंक खाते में लौटा दी जावेगी।
17. विशिष्ठ पंजीकरण योजना के फ्लैटों हेतु पूर्व ग्रहण राशि जमा कराने के प्रावधान निम्नानुसार एवं विवरण तालिका–4 अनुसार है:–

तालिका –4

क्र.सं.	आय वर्ग	पूर्वग्रहण राशि किश्त (रूपये में)			
		प्रथम	द्वितीय	तृतीय	**योग**
1	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (G+3) के फ्लेट्स	5000.00	5000.00	5000.00	**15000.00**
2	अल्प आय वर्ग (G+3) के फ्लैट्स	10000.00	10000.00	10000.00	**30000.00**

18. फ्लैट आवंटन से पूर्व आवेदकों को अपने आय वर्ग के अनुसार फ्लैट आरक्षित करने हेतु पूर्वग्रहण राशि तीन किश्तों में जमा करानी होती है। प्रथम किश्त पूर्वग्रहण राशि–पत्र जारी होने की तारीख से एक माह के अन्दर एवं दूसरी किश्त उसी पत्र के जारी होने कि तारीख से 4 माह के अन्दर तथा तीसरी किश्त का भुगतान उसी पत्र के जारी होने कि तारीख से 7 माह के अन्दर या फ्लेट आवंटन के समय जो भी पहले हो जमा करानी होगी।

19. आरक्षण पत्र के अनुसार देय किश्त की राशि पर नियमानुसारजी.एस.टी. की राशि अलग से देय होगी।

20. आवेदकों को **बिन्दु सं. 17** के अनुसार जारी किये जाने वाले पूर्व ग्रहण राशि पत्रानुसार निर्धारित तिथि तक वांछित किश्तों की राशि जमा करानी होगी। विलम्ब से जमा की जाने वाली किश्त की राशि पर आवेदक द्वारा 12 प्रतिशत वार्षिक दर से शास्ती/ब्याज देना होगा।

21. प्रस्तावित योजना यदि किन्ही अपरिहार्य कारणों से मूर्तरुप नहीं ले पाती है तो ऐसी स्थिति में 30 माह बाद के समय का आवेदकों को जमा पंजीकरण राशि पर नियमानुसार ब्याज देते हुए लौटा दी जायेगी।

22. इस योजना मे कुल प्राप्त आवेदन पत्रों मे से वर्गानुसार विकल्पानुसार प्रत्येक आय वर्ग मे उपलब्ध फ्लेटो की संख्या के बराबर सफल आवेदको की लॉटरी द्वारा वरीयता निर्धारित कर दी जायेगी। लॉटरी के पश्चात शेष असफल रहे आवेदको की उनकी जमा पंजीकरण राशि का रिफण्ड (बिना ब्याज के) कर दिया जावेगा।

23. **रिफण्ड**

(i) रेरा अधिनियम 2016 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार मण्डल में प्रचलित सम्पत्ति निस्तारण एवं वित्तीय नियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन किये जाने एवं रेरा प्रावधानों के अनुसार आवेदक द्वारा पंजीकरण निरस्त/वापसी की अवस्था में पंजीकरण राशि (जो लागत की अधिकतम 10 प्रतिशत हो) जब्त की जा सकती है।

24. आरक्षण पत्र के अनुसार प्रथम किस्त की राशि जमा कराने वाले आवेदकों को देख–रेख योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य की प्रगति के दौरान ही ढांचा स्तर तक निर्माण होने के पश्चात आवासों का आवंटन कर दिया जायेगा, जिससे आवेदक अपने फ्लेट्स के निर्माण का निरीक्षण स्वयं भी कर सके।

25. फ्लेट्स आवंटन लॉटरी के कार्यक्रम की घोषणा समाचार पत्रों के माध्यम से की जायेगी। इसमें आवेदक द्वारा पूर्वग्रहण राशि की देय किश्तें जमा करवाकर चालान की प्रतियां कार्यक्रम की निर्धारित अवधि में कार्यालय में प्रस्तुत करने वाले आवेदकों को वरीयता क्रमानुसार आवंटन लाटरी में सम्मिलित किया जायेगा।

26. मण्डल द्वारा निर्मित फ्लैट्स की वास्तविक लागत निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात निर्धारित करने हेतु पूर्णतः स्वतंत्र है एवं इस संबंध में मण्डल का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

27. आवेदक को लॉटरी द्वारा फ्लेट आवंटित किये जाने के पश्चात् फ्लेट की देय बकाया राशि जमा कराने हेतु आवंटन पत्र द्वारा सूचित किया जावेगा। उक्त आवंटन पत्र की मांग राशि जमा कराने के लिए समयावधि मण्डल द्वारा नियमानुसार प्रदान की जावेगी। निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं कराने पर नियमानुसार कार्यवाही कर आवास का पंजीकरण एवं आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा

28. मण्डल के वर्तमान प्रावधानों के अनुरूप आवास के आवंटन पत्र में वर्णित अन्य विविध खर्चे देय होंगे, जिनका आवासों की लागत (विक्रय मूल्य) में समावेश नहीं किया गया है, ऐसे खर्चे निम्न प्रकार के होंगे :–

(क) **लीज राशि:** यह राशि भूमि की कुल कीमत पर 2.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से वसूलनीय होगी।

(ख) **किराया क्रय अग्रिम जमा राशि :** यह राशि जो कि आवास की कुल किमत का 5 प्रतिशत है मण्डल के पास धरोहर के रुप में जमा रहेगी और आवंटी द्वारा विभिन्न बकाया राशि समय पर जमा न कराने की दशा में जब्त की जा सकती है यह राशि किराया क्रय अवधि के संतोषप्रद रुप से पूर्ण हो जाने पर समायोजित या लौटा दी जायेगी।

(ग) **अन्य खर्चे :**

(i) निर्दिष्ट क्षेत्रफल से अधिक अतिरिक्त भूमि व कॉर्नर आवासों के लिए 242वी. बोर्ड बैठक में अतिरिक्त भूमि का भी आवंटन पत्र की दर से लिये जाने का प्रावधान किया है नियमानुसार अतिरिक्त राशि वसूल की जायेगी।

(ii) अन्य विविध खर्चे, जो कि आवासन मण्डल, राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित अनुसार वसूल किये जावेगें।

29. मण्डल के फ्लेट् केवल रिहायशी प्रयोजन हेतु उपयोग में लिये जावेंगे। फ्लेट् में आवंटी किसी प्रकार का वाणिज्यिक निर्माण नहीं करा सकेगा और न ही वाणिज्यिक उपयोग करेगा। इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर फ्लेट् का आवंटन निरस्त किया जा सकेगा।

30. सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के नियम संख्या 17 व 18 में अभिकथित संबंधित विभागों द्वारा मांग किये जाने पर आवंटी को संपत्ति पर समस्त करों का भुगतान करना होगा, जैसे–फ्लेट् सम्पत्ति कर, नगर निगम कर, विकास कर इत्यादि।

इसके अतिरिक्त योजना के निवासियों की पंजीकृत सोसायटी द्वारा निर्धारित नियम व शर्तों की पालना करनी होगी, साथ ही सोसायटी द्वारा निर्धारित सदस्यता शुल्क व अन्य शुल्क आवंटी को वहन करने होंगे।

31. यदि आवेदक, शपथ पत्र/आवेदन पत्र में कोई गलत सूचना देता है या कोई तथ्य छिपाता है तो उसका पंजीकरण तुरन्त रद्द कर दिया जावेगा। यदि फ्लेट् का आवंटन हो गया हो तो भी मंडल ऐसे आवंटन को रद्द करने तथा फ्लेट् का कब्जा वापस लेने के लिए सक्षम होगा। आवेदक की जमा राशियों में से नियमानुसार पंजीकरण राशि जब्त करते हुए शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी। मण्डल द्वारा जीएसटी राशि रिफण्ड नही की जावेगी।

32. किसी नुकसान के होने से या वस्तुओं के चोरी चले जाने से बचने की दृष्टि से, निम्नांकित फिटिंग/फिक्सचर आदि का कार्य आवासन मंडल द्वारा आवंटी को कब्जा देने की वास्तविक तारीख से एक माह के भीतर पूर्ण कर दिया जायेगा :–

1. विद्युत/फिटिंग/फिक्सचर
2. सेनेटरी फिटिंग
3. अंतिम पुताई यदि कब्जा देने से पूर्व नहीं की गई हो।

33. आवासन मंडल अपनी योजनाओं/आवासों में परिवर्तन/परिवर्द्धन कर सकता है जिसके परिणामस्वरूप यदि कोई अतिरिक्त कार्य करवाया जाता है तो ऐसा व्यय आवंटी को वहन करना होगा। विशेष परिस्थितियां उत्पन्न होने पर मण्डल योजना में प्रस्तावित सेक्टरों के स्थान पर अन्य सेक्टरों में आवास उपलब्ध कराने का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा तथा इस विषय में आवंटी का कोई विवाद स्वीकार्य नहीं होगा। योजना को पूर्ण एवं आंशिक रूप से निरस्त करने का अधिकार मण्डल के पास सुरक्षित रहेगा।

34.(अ) पंजीकरण/आरक्षण/आवंटन मण्डल द्वारा बनाये गये नियमों/आदेशों/उपबंधों/परिपत्रों के तहत होगा। मंडल अपने द्वारा बनाये गये नियमों, आदेशों तथा परिपत्रों को बनाने/परिवर्तन करने के लिए पूर्णतः सक्षम/अधिकृत होगा और ये पंजीकृत आवेदकों के लिए पूर्णतया लागू होंगे।

34.(ब) सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के नियम 19 के अनुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि आवंटी को स्वयं सम्पत्ति की परिस्थितियों से पूर्णतः परिचित होना चाहिये और बाद में किसी आगामी Stage पर सम्पत्ति की परिस्थितियों के संबंध में शिकायत करने, आपत्ति उठाने या मांग करने का अधिकार नहीं होगा।

36.(अ) सफल आवेदक अपने पत्राचार के पते में परिवर्तन की सूचना संबंधित **आवासीय अभियंता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड–उदयपुर एवं उप आवासन आयुक्त, वृत्त–उदयपुर, राजस्थान आवासन मण्डल, सेक्टर 11, हिरण मगरी, उदयपुर कार्यालय** के पते पर देवें। पते में परिवर्तन की सूचना नही देने के कारण अथवा आवेदक की गलती से पत्र आवेदक को प्राप्त नहीं होने की दशा में मण्डल द्वारा कोई आपत्ति स्वीकार नही की जावेगी। पता परिवर्तन कराते समय वांछित दस्तावेजों की छायाप्रतियों के साथ पूर्ण वरीयता क्रमांक अवश्य लिखें। आवासन मण्डल द्वारा पता परिवर्तन की स्वीकारोक्ति के पश्चात ही पता परिवर्तन मान्य होगा। अतः आवेदक को परामर्श है कि इस संबंध में आवासन मण्डल से सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में संबंधित कार्यालय से पता परिवर्तन किए जाने की जानकारी प्राप्त कर लेवें।

(ब) आवेदक द्वारा ऐसे स्थान जहां सामान्य जन का प्रवेश वर्जित हो, का पता अंकित करने की स्थिति में मण्डल द्वारा जारी पत्राचार प्राप्ति में होने वाले विलम्ब अथवा पत्राचार प्राप्त नहीं होने के लिए मण्डल उत्तरदायी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आवेदकों को परामर्श है कि वह समय–समय पर मण्डल के संबंधित कार्यालय में सम्पर्क करते रहें तथा समाचार पत्रों व मण्डल की वेबसाईट **www.urban.rajasthan.gov.in/rhb** के द्वारा भी जानकारी प्राप्त कर लेवें।

36. **वित्तीय सुविधायें:** आवासन मण्डल से फ्लेट् लेने वाले आवेदक/आवंटी वित्तीय संस्थाओं से ऋण ले सकते हैं। इस बाबत् आवासन मण्डल द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र/त्रिपक्षीय अनुबंध पत्र जारी किए जाएंगे

37. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ स्वयं एवं निवास के पते का प्रमाण यथा–आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसेन्स, राशन कार्ड, बिजली, पानी, टेलीफोन बिल, बैंक पासबुक अथवा अन्य कोई मान्य फोटोयुक्त दस्तावेज में से (वांछित दस्तावेजों की) एक–एक स्व–हस्ताक्षरित/सत्यापित प्रति संलग्न करना होगा।

38. आवेदन पत्र के कॉलम संख्या 7 में आवेदक द्वारा केवल पत्र व्यवहार का पता अंकित किया जाए तथा आवेदन पत्र पर केवल उसी व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए, जो इस योजना के अन्तर्गत आवास लेना चाहता है।

39. मण्डल द्वारा आवेदन पत्र स्वीकार करते समय समस्त आवेदकों की पात्रता की जांच किया जाना सम्भव नहीं है। अतः मिथ्या कथन, तथ्यो को छुपाने अथवा कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर कालान्तर में यदि आवेदक पंजीकरण हेतु अपात्र पाया जाता है, तो उस आवेदक का पंजीकरण आवेदन/आवंटन तथा उसके क्रम में की गई समस्त कार्यवाही, बिना कोई कारण बताओं नोटिस जारी किये शून्य घोषित कर दी जावेगी तथा मण्डल के प्रचलित नियमों अनुसार कटौती करते हुए शेष राशि लौटा दी जायेगी।

40. मण्डल द्वारा समय समय पर मांगे गये शपथ पत्र/वचनबद्धता/अन्य आवेदन/अन्य प्रपत्र इत्यादि स्वहस्ताक्षरित हो एंव आवेदक द्वारा उन पर अपना नवीनतम फोटो चस्पा करते हुए उन्हें नियमानुसार राजपत्रित अधिकारी/नोटरी पब्लिक से सत्यापित कर प्रस्तुत करना होगा।

41. फ्लैट से सम्बन्धित सामान्य क्षेत्रों के उपयोग, मरम्मत, देखभाल तथा सम्मिलित सेवाओं जैसे जीना, अहाते की दीवार, बगीचे, खुले स्थान इत्यादि के प्रयोग तथा रख रखाव के लिए प्रत्येक आवंटी को आवंटियों की एक पंजीकृत संस्था का सदस्य होना अनिवार्य होगा। इस संस्था का गठन राजस्थान सरकार के नियमों तथा उपनियमों के अनुसार होगा। आवंटी को फ्लैट का कब्जा इसी शर्त पर दिया जायेगा एवं आवंटी को उपरोक्त नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। रख रखाव का खर्चा सोसायटी के माध्यम से किया जावेगा। भविष्य में सोसायटी द्वारा नियमित रख रखाव हेतु मांगी गई राशि आवंटी द्वारा जमा कराई जावेगी। सोसायटी का गठन आवंटियों द्वारा ही किया जावेगा। भौतिक कब्जा प्राप्त करने के साथ ही आवेदक को राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा तय की गई राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट उक्त संस्था के नाम जमा कराना होगा। यह राशि संस्था द्वारा शुरूआती वर्षो में रख रखाव हेतु खर्च की जा सकेगी।

42. परिसर में निर्मित फ्लैट्स का रख रखाव रेजीडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) द्वारा किया जायेगा। परिसर के अन्तर्गत आने वाले सभी सुविधा क्षेत्र व सामुदायिक सम्पत्ति पर मालिकाना हक राजस्थान आवासन मण्डल का ही रहेगा। योजना के रख रखाव की सम्पूर्ण जिम्मेदारी हस्तातंरण के उपरान्त RWA की रहेगी।

महत्वपूर्ण बिन्दुः

i. इस योजना में आवेदन करने वाला व्यक्ति भारतीय नागरिक हो तथा आवेदन के समय आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम न हो।

ii. दो आरक्षित वर्गो के लिए योग्यता रखने वाले आवेदकों को किसी भी एक आरक्षित वर्ग के अन्तर्गत पंजीकरण कराने का आवेदन पत्र में उल्लेख करना अनिवार्य होगा तथा पंजीकरण राशि उसी के अनुरूप जमा करानी होगी।

iii. आवेदन–पत्र में आवेदक ने आय के स्वरूप वाले कॉलम में वैतनिक अथवा अवैतनिक का उल्लेख नहीं किया तो वेतन प्रमाण–पत्र के अभाव में आवेदक को अवैतनिक श्रेणी में माना जावेगा।

iv. अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के आवेदकों को आरक्षित श्रेणी तथा पंजीकरण राशि में छूट का लाभ लेने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

v. ''आरक्षित श्रेणियों अर्थात अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/शारीरिक रूप से दिव्यांग/युद्ध में शहीद हुए सैनिक की विधवाओं/भूतपूर्व सैनिक/विधायक/सांसद/अधिस्वीकृत पत्रकार/ स्वतंत्रता सैनानी/शौर्य पुरस्कार प्राप्त सैनिक/ऐशियाड/ओलम्पिक पदक प्राप्त खिलाड़ी आदि के द्वारा आवेदन पत्र में दी गई सूचना अनुसार अपेक्षित प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति के साथ शपथ पत्र नवीनतम फोटो के साथ प्रस्तुत करना होगा।

vi. आवेदन पत्र में उत्तराधिकारी का मनोनयन पति/पत्नी, माता/पिता, भाई/बहिन, पुत्र/पुत्री, पौत्र/पौत्री एवं पुत्रवधु में से ही किया जा सकेगा।

vii. इस योजना के अन्तर्गत पंजीकृत आवेदक अन्य योजना में स्थानान्तरण नहीं करवा सकेंगे।

viii. फ्लेट् आवंटन/कब्जे के बाद फ्लेट् का रख–रखाव स्वयं आवंटी द्वारा किया जायेगा।

ix. योजना के तहत कोई भी न्यायिक विवाद **उदयपुर** शहर की सीमा के अन्तर्गत ही होंगे।

x. आवासन मण्डल की इस योजना में राजस्थान आवासन मण्डल के सम्पत्ति निष्पादन विनियम 1970 के प्रावधान मान्य होंगे।

xi. इस योजना में निर्धारित आयवर्ग से दो आयवर्ग ऊपर अथवा दो आयवर्ग नीचे के आवेदक भी मण्डल नियमानुसार आवेदन कर सकेंगे। इस स्थिति में वरीयता निर्धारण हेतु मूल आयवर्ग के आवेदक को प्रथम वरीयता तथा मूल आयवर्ग के ऊपर के आयवर्ग के आवेदकों को द्वितीय वरीयता तथा मूल आयवर्ग से नीचे के आयवर्ग को तृतीय वरीयता दी जायेगी।

xii उक्त योजना के माध्यम से आवंटित फ्लेट किन्ही कारणों से यदि निरस्त किया जाता है या अवशिष्ट हो जाता है तो अवशिष्ट फ्लेट का निस्तारण खुली बिक्री योजना/नीलामी/ई–बिड सबमिशन के माध्यम से करने के लिए मण्डल स्वतंत्र होगा।

xiii. उक्त योजना के माध्यम से आवंटित फ्लेट किन्ही कारणों से यदि निरस्त किया जाता है या अवशिष्टआवेदन पत्र मण्डल की वेबसाईट https://rhb.rajasthan.gov.in पर ऑनलाइन भरे जायेंगे। इस हेतु आवेदन पत्र की कीमत रूपये 354/– पंजीकृत राशि मे सम्मिलित कर सीधे ही अपने बैंक खाते के माध्यम से इन्टरनेट बैंकिंग के मार्फत जमा करवाया जा सकता है।

आवेदक का
फोटो

सभी आवेदकों के लिय

शपथ पत्र

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... आयु ....वर्ष, जाति............................. निवासी ....एतद्द्वारा सशपथ घोषणा करता/करती हूँ किः–

1. मैं भारत का/की नागरिक हूं।
2. यह कि मेरा आवेदन स्वीकार होने पर मैं आवासन मण्डल द्वारा समय–समय पर मांग की गई राशियां जमा नहीं करता हूं तो आवासन मण्डल बिना किसी सूचना के मेरा पंजीकरण/आवंटन निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेवार रहूंगा।
3. यह कि मैं इस योजना के निवासियों की पंजीकृत सोसायटी का सदस्य रहूंगा तथा सोसायटी के नियमों का पूर्ण रुप से पालन करुंगा/करुंगी।
4. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त कथन तथा आवेदन पत्र में दिये गये सभी तथ्यों में कोई मिथ्या कथन नहीं किया गया है तथा ना ही कोई तथ्य छिपाया गया है, ना ही किसी प्रकार का छल या कपट किया गया है। भविष्य में ऐसी कोई बात मण्डल के संज्ञान में आती है। तो आवेदन पत्र / आवंटन पत्र को निरस्त करने के साथ मेरे विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने के लिए मण्डल स्वतंत्र होगा।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

सत्यनिष्ठा

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... निवासी .... सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त पेरा 1 से 7 में जो तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं, वे मेरी निजी जानकारी में पूर्णतया सत्य है, मैंने कोई भी तथ्य छिपाया नहीं है। ईश्वर मेरा सहायक है।

शपथ ग्रहिता
हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

(शपथ पत्र 100/– रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए तथा हस्ताक्षर नोटेरी पब्लिक अथवा प्रथम श्रेणी दण्डनायक/कार्यपालक दण्डनायक द्वारा प्रमाणित होना चाहिए)

गैर वेतनभोगी आवेदकों के लिए
आय प्रमाण–पत्र हेतु शपथ–पत्र
(आवश्यक नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

शपथ–पत्र

मैं ....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ....आयु........ .... जाति .... निवासी ....(अनुसूचित जाति/जनजाति यदि है तो अंकित करें) सशपथ बयान करता/करती हूँ:–

यह कि मेरे परिवार की वर्ष 2024–25 में वार्षिक आय समस्त स्त्रोतों से निम्न प्रकार थी–

अ. स्वयं की आय, व्यापार, उद्योग, एजेन्सी, कृषि उद्योग दुकान या अन्य स्त्रोतों से .... रुपये थी।

ब. मेरे पति/पत्नी, अवयस्क पुत्र/पुत्री/दत्तक पुत्र/दत्तक पुत्री की व्यापार, उद्योग, एजेन्सी दुकान अथवा कृषि उद्योग एवं अन्य स्त्रोंतों से वार्षिक आय ....रुपये थी।

स. यह कि वित्तीय वर्ष 2024–25 में मेरे परिवार की कुल आमदनी ....रुपये थी।

शपथ ग्रहिता
हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

सत्यापन

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... जाति .... निवासी .... सत्यनिष्ठा से सत्यापित करता/करती हूँ कि उपरोक्त तथ्य मेरी सम्पूर्ण जानकारी के अनुसार सत्य है तथा मैंने कोई भी तथ्य छिपाया नहीं है। ईश्वर मेरा सहायक है।

शपथ ग्रहिता
हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

(शपथ पत्र 100/– रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए तथा हस्ताक्षर नोटेरी पब्लिक अथवा प्रथम श्रेणी दण्डनायक/कार्यपालक दण्डनायक द्वारा प्रमाणित होना चाहिए तथा आवदेक द्वारा मूल निवास प्रमाण पत्र के साथ ही आय के स्त्रोत अथवा उनके स्वामित्व की कृषि भूमि से प्राप्त आय की विवरणिका शामिल किया जाना आवश्यक है।)

वेतनभोगी आवेदकों के लिए

आय प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.. पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ....इस विभाग/ उपक्रम/ कम्पनी/ संस्था (विभाग/संस्था का नाम) .... में.. पद पर कार्यरत हैं एवं ये (केन्द्र/राजस्थान सरकार अथवा केन्द्र/राजस्थान सरकार के उपक्रम/प्राईवेट सेक्टर के) नियमित कर्मचारी हैं। इनकी 2024–25 की सकल वार्षिक आय रुपये ....थी।

क्रमांक/दिनांक ....

विभागाध्यक्ष
के हस्ताक्षर मय मोहर
विभाग/उपक्रम/प्राईवेट सेक्टर का नाम

अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदकों हेतु प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/.. पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... निवासी .... जिला ....संभाग.............................राज्य ....जाति .... के सदस्य हैं जो अनुसूचित जाति/जनजाति (सूची) संशोधन अधिनियम 1956 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति में है।

हस्ताक्षर

तहसीलदार
(कार्यालय की मोहर सहित)

स्वतंत्रता सैनानियों के लिए

प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री... निवासी .... जिला .... स्वतंत्रता सैनानी है। इन्हें वर्ष .... में राज्य सरकार द्वारा ताम्र–पत्र/प्रमाण–पत्र प्रदान किया गया है।

हस्ताक्षर

जिला कलक्टर/उप सचिव/सहायक सचिव
(सामान्य प्रशासन विभाग)
राजस्थान सरकार, जयपुर

शौर्य पदक प्राप्त सैनिकों के लिए

प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री... निवासी .... ने वर्ष .... में निम्नलिखित शौर्य पदक प्राप्त किये।

1. ....

2. ....

3. ....

सचिव
राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड

अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए

प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.. निवासी ग्राम....................................... जिला .... अधिस्वीकृत पत्रकार है। इनका पत्र/पत्रिका (नाम) .... नियमित रूप से प्रकाशित होता/होती है।

हस्ताक्षर

सक्षम अधिकारी
सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय

भूतपूर्व सैनिकों के लिए/सैन्य विधवा प्रमाणपत्र

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती ....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..निवासी.. .... सेवानिवृत भूतपूर्व सैनिक है/युद्ध में शहीद सैनिक की विधवा है/युद्ध में हताहत हुए दिव्यांग सैनिक है।

सचिव
राज्य/जिला सैनिक कल्याण बोर्ड

(यह प्रमाण पत्र केवल भूतपूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवा आवेदकों को संलग्न करना अनिवार्य है।)

<u>राजस्थान के विधायकों/सांसदों के लिए</u>

प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.. विधानसभा क्षेत्र/लोकसभा क्षेत्र/राज्यसभा, राज्य .... से सत्र .... में सदस्य हैं।

हस्ताक्षर

महासचिव/सचिव लोकसभा/
राज्यसभा/विधानसभा सचिवालय

<u>भूतपूर्व विधायकों/सांसदों के लिए</u>

प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.. विधानसभा क्षेत्र/लोकसभा क्षेत्र/राज्यसभा, राज्य .... से सत्र .... में सदस्य रहे हैं एवं भूतपूर्व विधायक/सांसद हैं।

हस्ताक्षर

महासचिव/सचिव लोकसभा/
राज्यसभा/विधानसभा सचिवालय

आवेदक द्वारा भरा जावे

आवेदन पत्र चालान क्रमांक ....

राजस्थान आवासन मण्डल

रेरा पंजीकरण संख्या RAJ/P/2025/4065

''विशिष्ठ पंजीकरण योजना वर्ष 2025''

पानेरियो की मादडी योजना फेज–प्रथम, उदयपुर में

आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (G+3) एवं अल्प आय वर्ग (G+3)

के फ्लेट्स हेतु

जॉच–पत्र

क्र. सं.	आवेदन पत्र पूर्ण करने के पश्चात् आवेदक द्वारा चैक किए जाने वाले बिन्दु			आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् कार्यालय द्वारा चैक किए गए बिन्दु	
1.	क्या आवेदक का नाम / पिता का नाम अंकित है?	हॉ/नहीं		हॉ/नहीं	
2.	क्या आवेदक द्वारा अपना हाल ही में खिंचवाया गया फोटों यथास्थान चिपकाया है?	हॉ/नहीं		हॉ/नहीं	
3.	क्या आवेदक के फोटो पहचान–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न है (आवेदन पत्र में दिए विवरणानुसार)	हॉ/नहीं		हॉ/नहीं	
4.	क्या आवेदक के पते के प्रमाण– स्वरूप दस्तावेज संलग्न है (आवेदन पत्र में दिए विवरणानुसार) ?	हॉ/नहीं		हॉ/नहीं	
5.	क्या आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के अनुसार पेनकार्ड की प्रति संलग्न की है?	हॉ/नहीं		हॉ/नहीं	
6.	क्या आय वर्ग आवेदक की आय के अनुसार सही दर्शाया गया है?	हॉ/नहीं		हॉ/नहीं	
7.	क्या आय वर्ग प्रमाण पत्र संलग्न किया है?	हॉ/नहीं		हॉ/नहीं	
8.	क्या आवेदक आरक्षित आय वर्ग में आता है?	हॉ/नहीं		हॉ/नहीं	
9.	क्या आरक्षित वर्ग के लिए प्रमाण पत्र संलग्न है?	हॉ/नहीं		हॉ/नहीं	
10.	क्या पंजीकरण राशि जमा है?	हॉ/नहीं		हॉ/नहीं	
11.	क्या पंजीकरण राशि आय वर्ग के अनुसार सही है?	हॉ/नहीं		हॉ/नहीं	
12.	क्या वाछिंत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न है?	हॉ/नहीं		हॉ/नहीं	

आवेदक के हस्ताक्षर

कार्यालय उपयोग हेतु

1. आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया एवं आवेदक द्वारा उपरोक्तानुसार विवरण सही पाया गया।
2. आवेदक का ग्रुप है –सामान्य /अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/दिव्यांग/पुरस्कृत /पदक
3. आवेदक द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार आवेदन पत्र योग्य / अयोग्य पाया गया।
4. अन्य टिप्पणी..

क.सहायक/सहायक | कार्यालय अधीक्षक | स.आवासन अधिकारी/सम्पदा प्रबन्धक

मूल्य 300+54=354

राजस्थान आवासन मण्डल

रेरा पंजीकरण संख्या RAJ/P/2025/4065

"पंजीकरण योजना वर्ष 2025"

पानेरियो की मादडी योजना फेज–प्रथम, उदयपुर में

आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (G+3) एवं अल्प आय वर्ग (G+3)

के फ्लेट्स हेतु आवेदन पत्र

आवेदक/ आवेदिका का नवीनतम फोटो सत्यापित

आवेदन क्रमांक ....

आवेदित आय वर्ग : .... (सम्बन्धित आय वर्ग लिखे)

1	आवेदक/आवेदिका का नाम (आवेदक स्वयं का नाम स्पष्ट अंकित करें, इसमें किसी प्रकार की काटछांट नहीं करें)	श्री/श्रीमती ....
2	पिता / पति का नाम (आवेदक कॉलम की पूर्ति हेतु किसी प्रकार की काटछांट नहीं करें)	श्री ....
3	जन्म तिथि	....
4	राष्ट्रीयता	....
5	स्वयं की पहचान हेतु वांछित दस्तावेज (सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)	पैन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/पासपोर्ट/ड्राईविंग लाइसेन्स/बिजली/पानी/टेलीफोन बिल/भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र/अन्य फोटोयुक्त मान्य दस्तावेज ....
5ए	आधार कार्ड का नम्बर	....
6	व्यवसाय का स्वरूप इंगित (√) करे (आवेदक कॉलम की पूर्ति हेतु किसी प्रकार की काटछांट नहीं करें)	वैतनिक ☐ अवैतनिक ☐
7	आवेदक का पता (दस्तावेज संलग्न करें) (मण्डल द्वारा इसी पते पर पत्र व्यवहार किया जायेगा)	.... दूरभाष नं. .... मोबाईल. न. .... ई–मेल आईडी ....
8	आवेदक /आवेदकों की कुल वार्षिक आय (रुपये में) (वित्तीय वर्ष 2024–25) पैन नं. (लागू हो, तो अवश्यक लिखें)... (आवेदक कॉलम की पूर्ति हेतु किसी प्रकार की काटछांट नहीं करें)	
	(अ) स्वयं की आय (ब) पति/पत्नी की आय (स) आश्रितों की आय	
	कुल वार्षिक आय (अ+ब+स) :	
	आवेदित पंजीकरण का विवरण	
9	पंजीकरण राशि रु0	वर्तमान आवेदित आय वर्ग ....
10	भुगतान की पद्धति	नगद भुगतान पद्धति ☐ किराया क्रय पद्धति ☐
11	निम्नांकित तालिका में अपना वर्ग (श्रेणी) इंगित (√) करें (प्रमाण पत्र संलग्न करें)	
	जी–1 : वैतनिक श्रेणी वैतनिक श्रेणी–प्रथम(G-1-I) (अ) राज्य कर्मचारी/बोर्ड/निगम/ प्राईवेट सैक्टर के कार्यरत कर्मचारी (ब) सरकारी कर्मचारी की विधवायें (कर्मचारी की मृत्यु से) 10 वर्ष तक (स) केन्द्र सरकार के कर्मचारी वैतनिक श्रेणी–द्वितीय (G-1-II) (अ) वर्तमान/भूतपूर्व सैनिक/ सीमा सुरक्षा बल/ केन्द्रीय औधौगिक सुरक्षा बल/ केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के रक्षाकर्मी (ब) सैनिक विधवायें/ वीरांगनाये (स्थल सेना को प्राथमिकता)	जी–2 : अवैतनिक श्रेणी अवैतनिक श्रेणी–प्रथम (G-2-I)– सामान्य अवैतनिक श्रेणी–द्वितीय (G-2-II)– प्रोफेशनल श्रेणी (केवल एडवोकेट, चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट एवंप्राईवेट डॉक्टर्स)

	जी–3 : राजस्थान आवासन मण्डल कार्मिक (बोर्ड कर्मचारी)	जी–4 : अनुसूचित जाति
	जी–5 : अनुसूचित जन जाति	जी–6 : वर्तमान एवं भूतपूर्व विधायक/सांसद
	जी–7 : स्वतंत्रता सैनानी	जी–8 : अधिस्वीकृत पत्रकार
	जी–10 : वीरता पुरूस्कार प्राप्त सैनिक/ ऐशियाड/ओलम्पिक पदक प्राप्त खिलाड़ी	जी–12 : परलैंगिक व्यक्ति (Transgender)

12	आवेदक का बैंक बचत खाता संख्या, जिसमें पंजीकरण नहीं होने की स्थिति में रिफण्ड की राशि का चैक भिजवाया जा सके :–	
अ.	बैंक, शाखा एवं शहर का नाम	....
ब.	बचत खाता संख्या	....
स.	आईएफएस कोड	....
13	संलग्नक	
	(i) स्वयं की पहचान का फोटोयुक्त दस्तावेज (ii) पैन नम्बर (लागू हो तो) और भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र नम्बर (यदि हो तो) (iii) पते का प्रमाण–पत्र (iv) आय का प्रमाण–पत्र (v) पंजीकरण राशि का बैंक ड्राफ्ट (vi)श्रेणी विशेष का प्रमाण पत्र (vii)अन्य वाछिंत प्रमाण पत्र/शपथ पत्र।	
14	घोषणा :–	

1 मैं इसके द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान में सही है और कुछ भी छुपाया नहीं गया है।

2 मैं इसके द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने इस आवेदन प्रपत्र के साथ किये गये पंजीकरण के अनुबन्धों एवं शर्तो को सावधानी पूर्वक पढ़ लिया तथा समझ लिया है और मै उनका पालन किये जाने के लिए सहमत हूँ।

3 मेरा या मेरे आश्रितों का आवेदित शहर क्षेत्र, जिसमें पंजीकरण के लिए आवेदन कर रहा/रही हूँ, में पूर्णतया अथवा भाग रूप में, फ्री होल्ड या पट्टे के आधार पर भूखण्ड या आवास नहीं है।

4 मेरा या मेरे आश्रितों को आवेदित शहर में किसी भी पद्धति यथा सामान्य/विशिष्ट/स्ववित्त पोषित पंजीकरण योजना, खुली बिक्री अथवा नीलामी द्वारा पूर्व में मण्डल से किसी भी श्रेणी/माप का आवास आरक्षित/आवंटित नहीं है।

5 मेरा आवेदन स्वीकार होने पर मैं आवासन मण्डल द्वारा समय समय पर मांग की गई राशियां जमा नही कराता हूं तो आवासन मण्डल बिना किसी सूचना के मेरा पंजीकरण/आवंटन निरस्त करने के लिएस्वतंत्र होगा, जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा/रहुंगी।

6 मेरी मृत्यु होने की दशा में, मैं निम्नलिखित व्यक्तियों को अधिमानक्रम में नाम निर्देशित करता/करतीहूँ:–

क्र.सं.	नाम	आयु	संबंध
प्रथम			
द्वितीय			
तृतीय			

सत्यापित
(नोटरी पब्लिक/राजपत्रित अधिकारी)
मुहर के साथ

आवेदक के हस्ताक्षर
नाम ....
स्थान ....
दिनांक ....

पंजीकरण राशि जमा कराने हेतु
आवेदन क्रमांक ....
बैंक खाता **RHB RESIDENTIAL FLATS AT PANERIYON KI MADRI PH 1 UDAIPUR**
खाता संख्या 760102010006369
IFSC कोड **UBIN0576018**
बैंक का नाम –यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

चालान

राजस्थान आवासन मण्डल

कार्यालय : आवासीय अभियन्ता, खण्ड–उदयपुर

''विशिष्ट पंजीकरण योजना वर्ष 2025''
पानेरियों की मादडी योजना फेज–प्रथम, उदयपुर में
आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (जी+3) एवं अल्प आय वर्ग (जी+3) फ्लेट्स

1.	सेक्टर / कॉलोनी का नाम	:	**पानेरियों की मादडी योजना, उदयपुर**
2.	योजना का नाम	:	**विशिष्ट पंजीकरण योजना वर्ष 2025** **पानेरियों की मादडी योजना फेज–प्रथम, उदयपुर**
3.	आवेदक/आवेदिका का नाम	:	....
4.	पत्र व्यवहार का पता	:	....
5.	बैंक अकाउन्ट नम्बर आई.एफ.एस.सी.कोड दिनांक	: :	....
6.	पंजीकरण राशि (अंकों में) (शब्दो में)	:	रू0 .... रूपये ....

दिनांक.....................
स्थान ....

आवेदक के हस्ताक्षर

GENERAL SPECIFICATIONS OF CONSTRUCTION

1. R.C.C. Framed seismic resistant structure.
2. Brick masonry in superstructure in cement sand mortar. (1:6)
3. Plaster in Cement sand mortar. (1:6)
4. Vitrified Tiles/Marble flooring, Mat Finished tiles flooring in bathroom & wall tiles.
5. Steel Door Frames and Steel Windows
6. Flush door shutters with steel fittings.
7. Interior paint (Distemper) and Acrylic paint on Exterior walls.
8. PVC, Water tanks, Toilet fittings, Kitchen Sink and Vitreous China WC/Wash basin.
9. Rajasthan Black Granite Kitchen table top.
10. Concealed PVC conduits with stranded (flexible) copper wire, MCBs.
11. Rain water Harvesting.
12. Open Parking Space.

EWS FLATS FLOOR PLAN
PANERIYON KI MADRI SCHEME, UDAIPUR

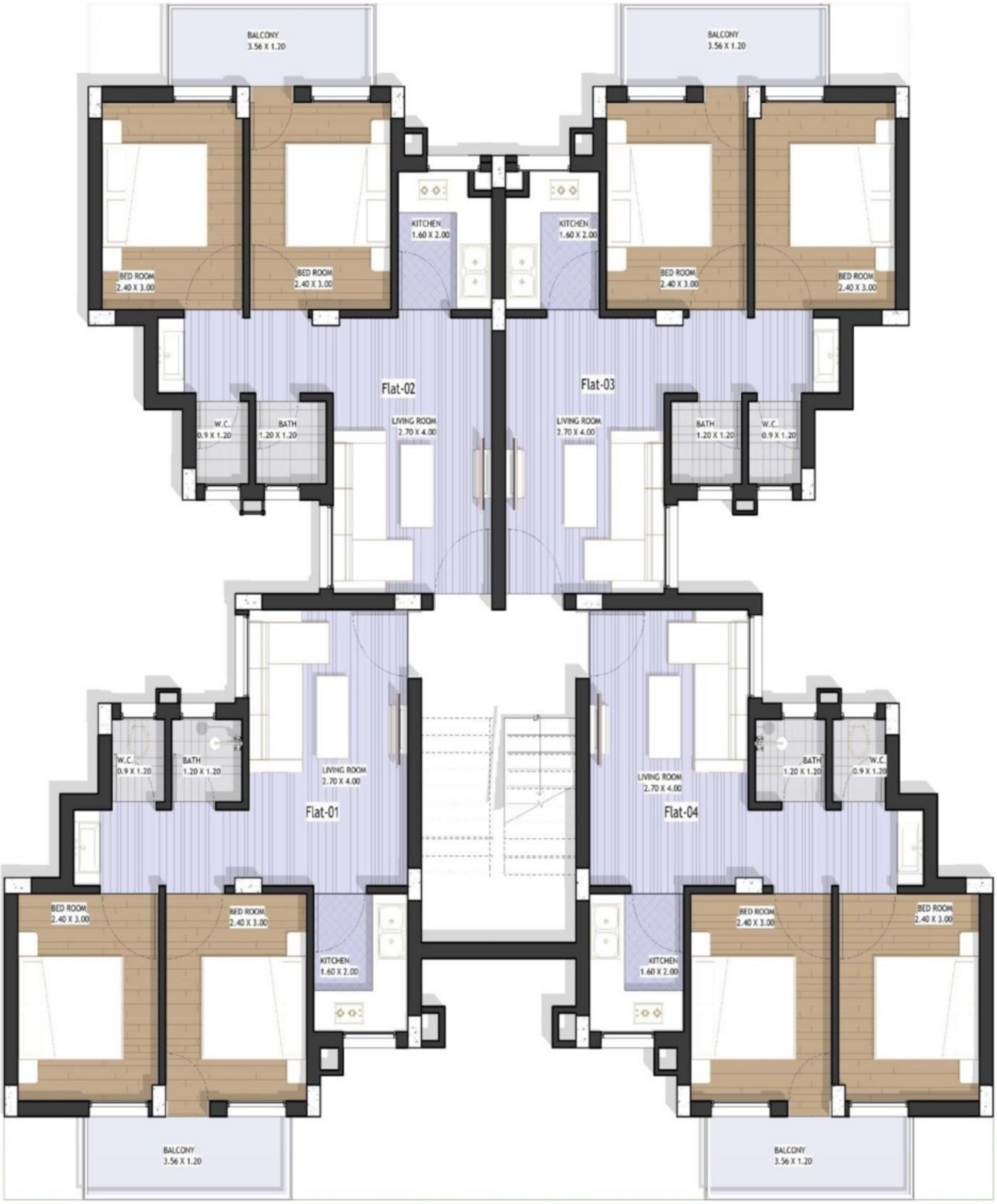

LIG FLATS FLOOR PLAN
PANERIYON KI MADRI SCHEME, UDAIPUR

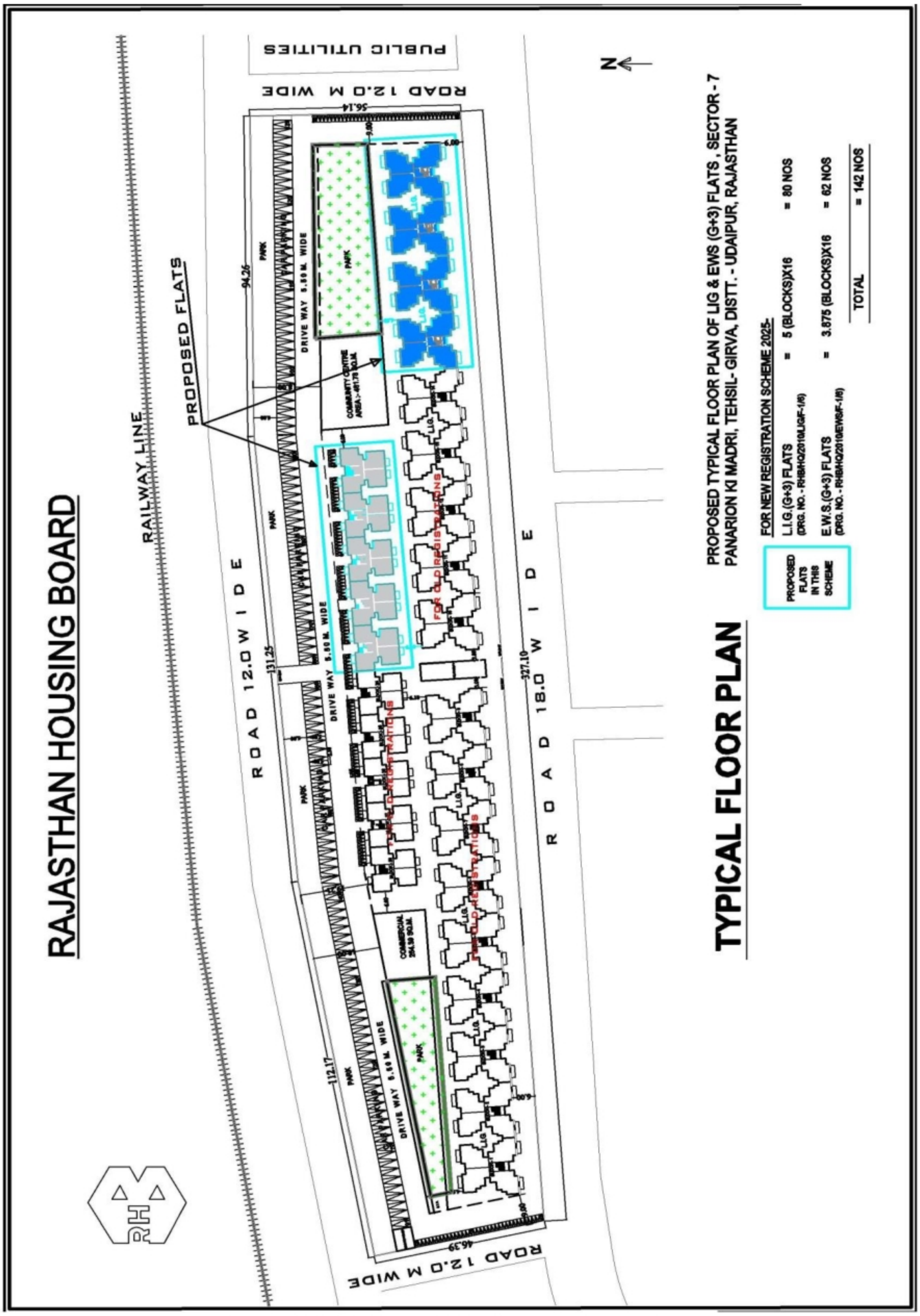

Scan QR Code for This Scheme Location :-

राजस्थान आवासन मण्डल

आवास भवन, जनपथ ज्योति नगर, जयपुर, राजस्थान 302005
info.rhb@rajasthan.gov.in

rhb.rajasthan.gov.in